

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>रामकिशोर फिड़ोदा बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 99 / 2022</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>30-05-2022</p>	<p>अपीलार्थी रामकिशोर फिड़ोदा, पता भाग्योदय भवन, रामदेव नगर, बासनी तम्बोलिया, मगरा पूंजला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.03.2022 में (1) राजस्व शाखा जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर के खिलाफ आरटीआई एक्ट के तहत की गई प्रथम अपील पर शाखा द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 588 दिनांक 05.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2022 का शाखा में संधारित दायर रजिस्टर में दायर होना नहीं पाया गया है जिसके फलस्वरूप प्रार्थी के आवेदन पत्र पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था। चूंकि लोक सूचना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शाखा में आवक नहीं होने से यह यह अपील स्वतः ही प्रभावहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

